कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक 494 /आउशि/सेमेस्टर प्र/08 भोपाल,दिनांक 1/12/08

प्रति,

1.समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश
2.समस्त प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,मध्यप्रदेश

विषयः– **तकनीकी शिक्षा में प्रवेश होने के पश्चात फीस वापसी के संबंध में ।**

–0–

मध्यप्रदेश शासन के द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि किसी भी व्यवसायिक पाठयक्रम में प्रवेश हो जाने एवं व्यवसायिक पाठयक्रम से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर प्रोवीजनल प्रवेश (यदि समय प्राप्ति के पश्चात यह स्थाई आवेदन हो चुका हो तो) संबंधित विद्यार्थी की फीस वापस कर दी जायें ओर मात्र 100/– रू. प्रोसिगंग फीस छोड़कर शेष समस्त फीस यथा जनभागीदारी निधि,कीड़ाशुल्क,काशनमनी आदि के नाम जो भी राशि प्राप्त की गई है वह सम्पूर्ण राशि वापिस कर दी जायें ।

कतिपय महाविद्यालयों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि वे इन नियमो का पालन नही कर रहे हैं । नियमो के अध्ययन से यह स्पष्ट था कि यह व्यवस्था व्यवसायिक पाठयकम मे भाग लेने वाले विद्यार्थियो को प्रदाय की गई थी । संभवत जागरूक प्राचार्य अवगत होगे कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशन के अनुसार तकनीकी शिक्षा की द्वितीय कांउसलिंग अब प्रांरभ होने जा रही है । ऐसे जो विद्यार्थी द्वितीय कांउसिलिंग में सफल होकर तकनीकी महाविद्यालय मे प्रवेश लेगें उनको भी इस नियम का लाभ देने के लिये उनके द्वारा महाविद्यालय मे जमा की गई फीस को वापस करना होगा ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी प्रोत्साहित होकर तकनीकी कक्षाओ मे भाग ले सके साथ ही तकनीकी शिक्षा के रिजल्ट आने के पूर्व अपने समय का सदुपयोग महाविद्यालय की शिक्षा मे कर सके ।

निरंतर

मे आशा करता हूँ कि अब इस संबंध में कोई विद्यार्थी किसी भी प्राचार्य के द्वारा व्यवसायिक पाठयक्रम मे प्रवेश लेने के पश्चात फीस वापसी हेतु आययुक्त के समक्ष उपस्थित नही होगा ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन कमांक 495/552/आउशि/सेमेस्टर प्र/08 भोपाल,दिनांक 1/12/08

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश ।
2. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश